भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1703
उत्तर देने की तारीख: 05.12.2024

एमएसएमई का डिजिटल रूपांतरण

1703. श्रीमती प्रतिभा मण्डल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सतत नौकरशाही बाधाओं और उच्च अनुपालन लागत के संबंध में एमएसएमई हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं, जो केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित पहलों के बावजूद क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई हैं, का संज्ञान लिया है;

(ख) सतत और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने और एमएसएमई के डिजिटल रूपांतरण का समर्थन करने के लिए सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार एमएसएमई के विकास के लिए प्रभावी नीतिगत अंत:क्षेपों को डिजाइन करने में कथित रूप से एक महत्वपूर्ण बाधा, विश्वसनीय क्षेत्रीय डेटा की कमी, को दूर करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख): सरकार एमएसएमई हितधारकों द्वारा क्षेत्रीय विकास में आने वाली बाधाओं, बोझ और अवरोधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इनमें सेवाओं/कार्यक्रमों का डिजिटलीकरण, एकल विंडो मंजूरी की व्यवस्था और व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) के लिए प्रक्रियाओं को कम करना/सरल बनाना शामिल है। डिजिटलीकरण, वित्तपोषण और स्थिरता के लिए एमएसएमई मंत्रालय की कुछ पहलें - उद्यम पंजीकरण, एमएसएमई संबंध, एमएसएमई हरित निवेश और परिवर्तन हेतु वित्तपोषण स्कीम (एमएसएमई गिफ्ट स्कीम), चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम स्कीम (एमएसई- स्पाइस स्कीम), एमएसएमई सतत जेड प्रमाणन स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसएमई समाधान, सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि हैं ।

राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली (एनएसडब्लूएस) एक डिजिटल मंच है, जो व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदन हेतु पहचान करने और उसके लिए आवेदन करने में मार्गदर्शन करता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अंतर्गत व्यापार करने में आसानी एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सृजित करना है। इस पहल के मुख्य फोकस क्षेत्र इस प्रकार हैं:

(i) आवेदन, नवीनीकरण, निरीक्षण, अभिलेख दाखिल करने आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
(ii) अप्रचलित कानूनों को निरस्त, संशोधित या समाप्त करके कानूनी प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना, तथा
(iii) ऑनलाइन इंटरफेस बनाकर सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण।

(ग): इस मंत्रालय का उद्यम पंजीकरण पोर्टल एनआईसी 2008 कोड के अनुसार आर्थिक कार्यकलापों को कैप्चर करता है तथा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, विभिन्न संगठनों और निकायों के साथ 40 से अधिक एपीआई एकीकरण स्थापित किए गए हैं। इस पोर्टल के अंतर्गत विभिन्न डेटा बिंदुओं को कैप्चर किया जा रहा है तथा प्राप्त डेटा का उपयोग नीति निर्माण और प्रभावकारिता के लिए सुधार करने में किया जाता है।

*****